न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देसूरी, जिला

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व मूल वाद संख्या:— 17/2011
तारीख निर्णय:— 18.08.2020

वादी—

डुंगरसिंह पुत्र जगन्नाथ जी जाति—राजपुरोहित निवासी—मादा तहसील—देसूरी, जिला—पाली, राजस्थान

—: विरूद्ध :—

प्रतिवादीगण—

1. कमलेश पुत्र उम्मेदमलजी जाति—रावल ब्राहम्ण निवासी—सादडी
2. प्रकाश पुत्र उम्मेदमलजी
3. ज्ञानवती पत्नी मानसिंह भादोरियां जाति—राजपूत निवासी—सादडी
4. दिनेश चारण पुत्र मोहनसिंह जाति—चारण निवासी—इटन्दरा चारणान वाया रानी
5. सुरजभान पुत्र गजराजसिंह जाति—राजपूत निवासी—सादडी
6. भंवरीदेवी पत्नी ताराचन्दजी जाति—माली, निवासी—सादडी
7. किशोर पुत्र रतनलाल जाति—माली, निवासी—सादडी
8. लक्ष्मी पुत्री रतनलाल जाति—माली, निवासी—सादडी
9. राजीबाई पत्नी नेमाजी जाति—माली, निवासी—सादडी
10. चम्पा पुत्री नेमाजी जाति—माली, निवासी—सादडी
11. कपुरचन्द पुत्र नेमारामजी जाति—माली निवासी—सादडी
12. ताराचन्द पुत्र नेमाजी, जाति—माली निवासी—सादडी
13. हिम्मत पुत्र नेमाजी, जाति—माली निवासी—सादडी
14. लच्छाराम पुत्र नेमाजी जाति—माली निवासी—सादडी
15. कन्या पत्नी पुनारामजी जाति—घांची निवासी—कोटडी
16. ओम प्रकाश पुत्र नरसिंग शर्मा जाति—सेवग, निवासी—सादडी
17. भावना पत्नी ओमप्रकाश शर्मा जाति—सेवग, निवासी—सादडी
18. मांगीलाल पुत्र मेघराजजी जाति— माली, निवासी— सादडी
19. गुलाबराम पुत्र दौलाजी जाति— माली, निवासी—सादडी
20. पेमाराम पुत्र दौलाजी जाति— माली, निवासी— सादडी
21. रामलाल पुत्र दौलाजी जाति—माली निवासी— सादडी
22. पवन पत्नी भेरारामजी जाति—चौधरी निवासी— [illegible]
23. सम्पत कुमार सेटिया पुत्र ब[illegible]
24. कान्ता पत्नी रमेश कुमार जै[illegible] निवासी— सादडी

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.13 18:42:29 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] लगातार 02 पर...

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

25. भैराराम पुत्र हीराजी जणवा, निवासी– सादडी
26. जगदीश कुमार पुत्र चम्पालालजी जाति– सोमपुरा निवासी– सादडी
27. मांगीलाल पुत्र चम्पालाल जाति– सोमपुरा निवासी –सादडी
तहसील देसूरी जिला पाली राजस्थान
28. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार देसूरी, जिला–पाली, राजस्थान

–: वाद अन्तर्गत धारा– 53, 88, 89, 188, 92ए राज0 काश्त0 अधिनियम 1955:–

–: आदेश :– **दिनांक– 18.08.2020**

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि– वादीगणकी ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा– 53, 88, 89, 188, 92ए राज0 काश्त0 अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि– मौजा सरहद कस्बा सादडी1 तहसील–देसूरी की सीमा क्षेत्र के पुराने खसरा नम्बर 408/2 रकबा 16 बिघा 7 बिस्वा, चाही द्वितीय की कृषि भूमि रही जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 3195 रकबा 0.2200 खसरा नम्बर 3196 रकबा 0.2200 हैक्टर, 3197 रकबा 0.0900 हैक्टर खसरा नम्बर 3198 रकबा 0.4500 हैक्टर, खसरा नम्बर 3199 रकबा 0.4000 हैक्टर, खसरा नम्बर 3200 रकबा 0.5300 हैक्टर, खसरा नम्बर 3203 रकबा 0.7200 हैक्टर, कुल खसरा नम्बर 7 कुल रकबा 2.6300 हैक्टर, किस्म चाही, लगान 96.56 रूपये की स्थित कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी अधिकार की विद्यमान है।

जिसमे सभी खातेदारन के मध्य आपस में मौखिक बंटवाडा किया हुआ होने से वादग्रस्त आराजी के 1/4 हिस्सा के मूल खातेदार रहे नेमाराम पुत्र चिमनाजी माली ने वादग्रस्त आराजी में निहित तमाम 1/4 हिस्सा के खातेदारी हक अधिकार दिनांक 23.12.1985 को प्रतिवादी संख्या 6, 26, 27 व अन्यो को सयुक्त 1/2 हिस्सा और अपने पुत्रों रताराम प्रतिवादी संख्या 10 से 13 को 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर बराबर हस्तांतरीत की प्रमाण में बेचान दस्तावेज वादी के पास असल कॉपी नही होने से प्रमाणित प्रति प्रस्तुत है। जिसके मौके पर अलग अलग बंटवाडा किया हुआ है।

वादग्रस्त आराजी में नेमाराम को निहित 1/4 हिस्सा में से रताराम द्वारा 1/10 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण आराजी में 1/40 हिस्सा के खातेदारी हक अधिकार क्रय किये गये थें जो रताराम द्वारा खातेदारी हक अधिकार वादी और मानसिंह पुत्र गजराजसिंह भदौरियां, शैतानसिंह पुत्र गोवरधनसिंह भाटी, रामनाथ मगल पुत्र हीरालाल, रमन पुत्र चुन्नीलाल जैन को सयुक्त बहिस्सा बराबर बराबर दिनांक 02.01.1987 को विक्रय किया गया। जो वाद के साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुसार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.13 18:42:29 IST
Reason: SelfAttested

पेज नम्बर 03 पर....

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

वादी के द्वारा रताराम से खरीद किया गया संयुक्त बंट का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाडा किया हुआ नही है अंदाज से सुविधा के हिसाब से अलग अलग प्लोट बनाये गये है जो तमाम सयुक्त छः प्लोट और उस पर निर्मित इमारत वादी और मानसिंह, शैतानसिंह द्वारा अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को विक्रय करने से, रामनाथ मंगल द्वारा अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 को विक्रय करने से तथा रमन जैन द्वारा अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 को विक्रय करने से वादग्रस्त आराजी में सयुक्त बंट मार्क ई एफ जी एच ई के भू भाग मय निर्मित और रास्तों आदी में अर्थात संयुक्त खरीद सुदा 1/40 वा हिस्सा में से वादी को 1/5 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को सयुक्त 2/5 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 को 1/5 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/5 वां हिस्सा के हक अधिकार हैं।

प्रतिवादी संख्या 6 भंवरी देवी द्वारा नेमाराम पुत्र चिमनाजी से दिनांक 23.01.1983 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख वादग्रस्त आराजी को खरीदने से प्रतिवादीनी भंवरी देवी को निहित 1/4 में से 1/2 में 1/24 वां अर्थात सम्पूर्ण आराजी का 1/192 वां हिस्सा के खातेदारी हक अधिकार और बंट की भूमि जो नक्शे में मार्क आई जे के एल आई के मध्य भाग से दर्शित है उक्त भूमि के प्लोट को तमाम हक अधिकारी सहित भवरी देवी द्वारा दिनांक 07.08.1994 को वादी को बेचान कर हस्तांतरित किया गया। जिससे वादग्रस्त आराजी में वादी का हिस्सा 1/192+1/200=1/98वां हिस्सा के खातेदारी हक अधिकार विद्यमान है।

वादग्रस्त आराजी में वादी और प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के मध्य संयुक्त मार्क ई एफ जी एच ई के मध्य भू–भाग की भूमि का कब्जा होने से काफी वाद विवाद और आपराधिक प्रकरण दर्ज हो चुके है। जिससे वादी और प्रतिवादी के मध्य स्थित संयुक्त खातेदारी भूमि मार्क ई एफ जी एच ई भाग में बरंग लाल से दर्शीत भूमि बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस व हक अधिकार व घोषणा का दावा विरूद्ध प्रतिवादी पेश है।

अतः वादग्रस्त आराजी का पुर्व में 1/4–1/4 हिस्सो का किया गया बंटवाडा तथा नेमाराम पुत्र चिमनाजी के द्वारा बेचान किये गये बंट का खरीददारों के मध्य किये बंटवाडा मौका अनुसार कायम रखते हुए वादी द्वारा खरीद गया रताराम के बंट का जो संलग्न नक्शे में खसरा नम्बर 3198 में बंरग लाल से मार्क ई एफ जी एच ई के मध्य भाग से दर्शित का वादी और प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के मध्य माफिक हिस्सा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाडा किया जावे और आवागमन का रास्ता संयुक्त रखा जावे। माफिक बंटवाडा के राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण की तलबी की गई। बाद तलबी के प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 व 4से 27 बाबत [illegible] तामील के अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही [illegible] 3 ने जवाब प्रस्तुत

पेज लगातार 04 पर....

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.13 18:42:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

कर निवेदन किया कि यह गलत है कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त आधिपत्य की हो। वादी ने अपने वाद पत्र के इस तथ्य वर्णित नहीं कर सत्यता स्पष्ट की है। वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि है, वादी साबित करे। वास्तव में उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि कस्बा सादडी की मुख्य आबादी के मध्य का भाग आवासीय कॉलोनी अटोकजी बाग से जानी जाती है। जिसमें मकानात, इमारतें बनी हुई है। मौके पर बंटवाडा किया हुआ है तो उसे वादी साबित करें।

रताराम ने 1/40 वां हिस्सा वादी, मानसिंह पुत्र गजराजसिंह भदौरिया, शैतानसिंह, रामनाथ व रमनजैन को सयुक्त हिस्सा बेचान दिनांक 2.01.1997 को किया था। यह गलत है कि नक्शे में मार्क ई, एफ, जी, एच, के भाग रताराम द्वारा वादी, मानसिंह, शैतानसिंह, रामनाथ, रमनजैन को बेचान किया हो, वादी साबित करे। उक्त वादग्रस्त आराजी पर वादी का किसी भी प्रकार का कोई हक अधिकार या कब्जा नहीं है। वास्तविकता यह है कि उक्त नक्शे में मार्क ई, एफ, जी, एच में बने छः प्लोटस मय रास्ता में से मानसिंह, शैतानसिंह ने प्रतिवादी संख्या एक से तीन को तीन प्लोटस बेचान किये, रामनाथ मंगल ने प्रतिवादी संख्या चार को बेचान किया, रमन जैन ने प्रतिवादी संख्या पांच सूरजभानसिंह को बेचान किया है। तथा इसी प्रकार वादी ने अपना हिस्से का प्लोट उम्मेदसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह राजपूरोहित को दिनांक 24.07.1995 को स्टाम्प संख्या 2198 पर गवाहान के रूबरू बेचान कर कब्जा सुपुर्द किया हैं वादी ने लिखत दिनांक 24.07.1995 को स्पष्ट रूप से वर्णित किया है कि मैने रताराम से जो प्लोट खरीद किया है। उसमें से मेरा सम्पूर्ण हिस्सा उम्मेदसिंह को बेचान करता हुं। अतः उक्त वादग्रस्त आराजी पर वादी का कोई हिस्सा, अधिकार, कब्जा नही है। जिसके बावजूद वर्तमान में वादी ने गलत वाद मात्र प्रतिवादी संख्या तीन व उसके पति डॉ मानसिंह तथा परिवारजनों एवं प्रतिवादी संख्या पॉच सूरजभानसिंह को तंग परेशान करने की बदनियति से गलत प्रस्तुत किया है।

नक्शे मे मार्क आई, जे, के, एल के मध्य का भाग भंवरीदेवी का हो, यह गलत है। भंवरीदेवी का इस पद में वर्णित तथ्यो क अनुसार आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद पक्षकार नही बनाया गया है। यह भी गलत है कि भवरीदेवी ने वादी को दिनांक 07.08.1994 को बेचान किया हो। वादी ने उक्त लिखत दिनांक 07.08.1994 को फर्जी व कूटरचित तैयार किया है। फर्जी व कूटरचित लिखत दिनांक 07.08.1994 पर लगा रेवेन्यू टिकट का दिनांक 07.08.1994 को अस्तित्व में ही नही था। जिसका मुकदमा वादी के विरूद्ध श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट, देसूरी मे विचारधीन है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 5 के प्लोट मय ईमारत को हडपने की वादी ने गलत कोशिश कर नगरपालिका सादडी में गलत कार्यवाही की थी, जिसे उपजिला कलेक्टर महोदय, पाली द्वारा दिनांक 31.04.2004 को खारीज की गई थी। अतः वादी का वादग्रस्त आराजी में या उसके भाग मार्क ई, एफ, जी, एच व मार्क आई, जे, के, एल, पर कोई कब्जा हक या अधिकार नहीं है। तथा न ही वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/192 हिस्सा विद्यमान है।

पेज लगातार 05 पर....

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.13 18:42:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

क्रमशः (5) राजस्व विविध मु0सं0– 17/2011 वादी– डुंगरसिंह बनाम प्रतिवादी कमलेश व अन्य वाद अन्तर्गत धारा 53,88,89,188,92ए,188 राज. काश्त. अधि. 1956 न्यायालय सहायक कलेक्टर, देसूरी................

न्यायालय द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्ताबेजो का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद से संबंधित आराजी का कृषि हेतु उपयोग नही हुआ है। वादग्रस्त आराजी का कस्बा सादडी की मुख्य आबादी का भाग है जिसमें मकान, आवासीय कॉलोनीया, सडके आदि विद्यमान है। नगरपालिका सादडी द्वारा भिन्न भिन्न व्यक्तियों को पट्टे जारी किये गये है। वादग्रस्त आराजी में वादी द्वारा संलग्न नक्शे में खसरा नम्बर 3198 में बंरग लाल से मार्क ई एफ जी एच ई के मध्य भाग से दर्शित का वादी और प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के मध्य माफिक हिस्सा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाडा चाहा गया है इस खसरे को मास्टर प्लान में आवासीय कॉलोनी माना गया है।

प्रार्थी/वादी द्वारा 3195 रकबा 0.2200 खसरा नम्बर 3196 रकबा 0.2200 हैक्टर, 3197 रकबा 0.0900 हैक्टर खसरा नम्बर 3198 रकबा 0.4500 हैक्टर, खसरा नम्बर 3199 रकबा 0.4000 हैक्टर, खसरा नम्बर 3200 रकबा 0.5300 हैक्टर, खसरा नम्बर 3203 रकबा 0.7200 हैक्टर, कुल खसरा नम्बर 7 कुल रकबा 2.6300 हैक्टर, किस्म चाही, लगान 96.56 रूपये का 1/40 वां हिस्सा प्रार्थी/वादी डुंगरसिंह, मानसिंह, शैतानसिंह, रामनाथ मंगल, रमन जैन 5 व्यक्तियों के खरीदना वर्णित किया, यानि 16.5 बीघा में 1/40 वा हिस्सा अर्थात 283090 वर्ग फीट में से 7155 वर्ग फीट खरीदना बताया। स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी तत्समय भी छोटे छोटे भू–खण्डो में विभक्त थी।

वादग्रस्त आराजी के कुल 7 खसरे रकबा 2.63 हैक्टर में से 5 खसरे रकबा 1.65 हैक्टर नगरपालिका के नामे होकर किस्म भी कृषि भूमि से आवासीय भूमि हो चुकी है। जो जमाबन्दी से स्पष्ट है। उक्त संपूर्ण वादग्रस्त आराजी के कौनसे हिस्से पर प्रार्थी का स्थापित कब्जा है यह भी प्रार्थी/ वादी द्वारा कहीं भी वर्णित नही किया गया है।

अतः चूंकि मौके पर सभी 7 खसरे कृषि भूमि न होकर आबादी भूमि में उपयोग हो रहा है एवं 5 खसरे किस्म परिवर्तन होकर नगरपालिका के नामे हो चुके है। अतः राजस्व न्यायालय की अधिकारिता आबादी भूमि के संबंध में नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88, 188 में केवल मात्र कृषि भूमि के बंटवाडा, खातेदारी एवम् स्थायी निषेधाज्ञा के बारे में प्रावधान दिये गये है। आबादी भूमि के संबंध में इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का अनुतोष दिया जाना राजस्व न्यायालय की अधिकारिता में नही है। अतः उक्त वाद अन्तर्गत धारा– 53, 88, 89, 188, 92ए राज0 काश्त0 अधिनियम के तहत खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर
देसूरी
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

आदेश आज दिनांक–18/08/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
देसूरी
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.13 18:42:29 IST
Reason: SelfAttested